फाइल नं0-71-1002/52/2023

87/2023/I/331139/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 12 जून, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 50 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी के पत्र संख्या-यू0जी0 सीट/वृद्धि/प्रस्ताव/2023/एनएमसी/235, दिनांक 12.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु विभागवार क्रय किये जाने वाले उपकरण की सूची उपलब्ध कराते हुए अनुमोदित करते हुए क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–यू014017/146/2019-एमई-।।/8035777, दिनांक 25.08.2022 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु रू0 60.00 करोड़ की लागत अनुमोदित की गयी है। उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 है। फ़ण्डिग पैटर्न के अनुसार भारत सरकार द्वारा रू0 36.00 करोड़ केन्द्रांश के रूप में तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 24.00 करोड़ राज्यांश के रूप में अवमुक्त किया जाना है।

3- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-57/2023/I/296217/2023-71-1002/15/2022, दिनांक 30.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज यथा-झांसी, कानपुर, मेरठ, आगरा, गोरखपुर में यू0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष कुल रू0 109.93 करोड़ (केन्द्रांश+राज्यांश) महानिदेशक, चि0शि0 के निर्वतन पर रखी गयी। उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी हेतु रू0 16.57 करोड़ (रू0 9.94 करोड़ केन्द्रांश+6.63 करोड़ केन्द्रांश) की धनराशि रक्षित की गयी।

4- **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में** राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु विभागवार उपकरणों की सूची, लागत रू0 3,99,90,600.00 (संलग्नक के अनुसार) अनुमोदित करते हुए उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष महानिदेशक, चि0शि0 के निर्वतन पर रक्षित धनराशि कुल रू0 16.57 करोड़ में से रू0 3.00 करोड़ (रू0 2.00 करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

केन्द्रांश एंव रू0 1.00 करोड़ राज्यांश) उपकरण/फर्नीचर के क्रय हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति महानिदेशक, चि0शि0 एंव प्रशि0 को निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेशसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।
2. उपकरणों की गुणवत्ता, मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यमदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनयिमितता मानी जायेगी।
5. उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2 (एस0पी0)/2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख तक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 50.00 लाख क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2022-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 / 2023/ बी-1-227/दस-2022-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

संलग्नक-

राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी में यू0जी0 सीट की वृद्धि हेतु विभागवार उपकरणों की सूचीः-

Sr. No	Sr. No	Name of Department	उपकरण का नाम	मात्रा	दर	कुल अनुमानित धनराशि रू0 में
1	1	T. B & Chest	Peak Flow meters	4	2400-00	9600

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	2		Nebulizer	6	18000-00	108000
	3		Intercostal Drainage Facility	6	18000-00	108000
	4		Pleural Biopsy Needles	2	10000-00	20000
	5		Pluse Oximeter	6	100000-00	600000
	6		Fiberoptic Bronchoscope	1	300000-00	300000
	7		Rigid Bronchoscope	1	150000-00	150000
	8		BP Instrument	7	14000-00	98000
	9		Weighing Scle	1	2000-00	2000
	10		Height Scale	2	5000-00	10000
2	11	Surgery Dept.	ICU Bed	5	100000-00	500000
	12		Monitor	3	200000-00	600000
	13		Suction Machine	2	40000-00	80000
	14		O T Table	1	3000000-00	3000000
	15		Cautry Machine	1	600000-00	600000
	16		Diagnostic laparoscopy HD set	1	5000000-00	5000000
3	17	Anatomy	Virtual Table	1	12000000-00	12000000
4	18	Anesthesia dept.	PNS (Peripheral Nerve Stimulator)	1	90000-00	90000
	19		Multipara Monitor (Monitors for vital sign)	2	200000-00	400000
	20		Airway Crash cart	2	30000-00	60000
	21		Blood & Fluid warmer	1	45000-00	45000
	22		Led Macintosh Laryngoscope	7	5000-00	35000
5	23	Obs & Gynae.	O T Table	1	3000000-00	3000000
	24		Multipara	1	125000-00	125000
	25		Baby warmer	3	80000-00	240000
	26		Suction Machine	6	50000-00	300000
	27		Cautry Machine	2	800000-00	1600000
	28		Multi channel monitor (5 Para)	6	300000-00	1800000
	29		Double surface Phototherpy with LED Light	2	100000-00	200000
	30		Video colposcopy with attached television	1	300000-00	300000
	31		Work Station	1	1500000-00	1500000
	32		Projector	1	100000-00	100000
	33		Microscope	1	60000-00	60000
	34		Office Hysteroscope	1	300000-00	300000
6	35	ENT	Micro Debrider	1	1500000-00	1500000
7	36	Medicine	Holter Monitor	2	300000-00	600000
	37		O T Table	1	500000-00	500000
	38		O T Light	1	300000-00	300000

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	39		Weight Machine	1	30000-00	30000
8	41	Ortho Dept	Ortho O.T. Table	2	300000-00	600000
	42		Electronic Orthopedic drill machine	2	600000-00	1200000
	43		Autoclavable Orthopedic drill machine	2	600000-00	1200000
	44		Pulse Lavage	2	120000-00	240000
	45		Electric tourniquet	4	120000-00	480000
		Total			**TOTAL**	**39990600**

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।